अधिसूचना सं0 10/2014-सेवा कर नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. (अ) केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 68 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 472 (अ), तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 30/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

(i) पैरा I के खंड (अ) में,--

(क) उपखंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(iक) किसी वसूली अभिकर्ता द्वारा किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को प्रदान की गई या प्रदान करने के लिए करार की गई ;";

(ख) उपखंड (ivक) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ivक) किसी कंपनी या निगमित निकाय के निदेशक द्वारा ऐसी कंपनी या निगमित निकाय को प्रदान की गई या प्रदान करने के लिए करार की गई ;";

(ii) पैरा II की सारणी में,--

(क) स्तंभों के सभी शीर्षों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :-

क्रम सं;	सेवा का विवरण	सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति द्वारा संदेय सेवा कर की प्रतिशतता	सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा संदेय सेवा कर की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)

(ख) क्र.सं0 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“1क.	किसी वसूली अभिकर्ता द्वारा किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को प्रदान की गई या प्रदान करने के लिए करार की गई सेवा के संबंध में	कुछ नहीं	100%”

(ग) स्तंभ (1) के क्र.सं0 5क के सामने स्तंभ (2) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"किसी कंपनी या निगमित निकाय के निदेशक द्वारा ऐसी कंपनी या निगमित निकाय को प्रदान की गई या प्रदान करने के लिए करार की गई सेवाओं के संबंध में";

(घ) क्र.सं0 7 में मद (ख) के सामने स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर 1 अक्तूबर, 2014 से क्रमश: “50%” और “50%” प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

2. यह अधिसूचना इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय 11 जुलाई, 2014 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 33415/2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सा.का.नि. 472(अ) तारीख 20 जून, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं0 30/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 621(अ) तारीख 7 अगस्त, 2012 द्वारा, अधिसूचना सं. 45/2012-सेवा कर, तारीख 7 अगस्त, 2012 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।